न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा, आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 27 / प्रा.पत्र / 2024 (GCMS No. 2024 / 33)	30.01.2024	27.11.2024

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, के.पाटन (जिला बून्दी)

— प्रार्थी

बनाम

श्रीमती कमला पत्नी बद्रीलाल जाति राव,
निवासी ग्राम कुआगांव, तहसील के.पाटन,
हाल तहसील रायथल, जिला बून्दी

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित—
प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थी की ओर से श्री राकेश ठाकौर एडवोकेट।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी कमला पत्नी बद्रीलाल को किये गये भूमि आवंटन ख.सं. 546 / 82 रकबा 0.58 हैक्टेयर वाकेग्राम कुआगांव आवंटन आदेश दिनांक 31.08.06 को निरस्त किये जाने हेतु राज.कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

अति.जिला कलक्टर (सीलिंग) बून्दी से क्षेत्राधिकार अनुसार प्रार्थना पत्र हस्तांतरित होकर प्राप्त होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 27 / 2024 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No.2024 / 33 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थी राजेन्द्र आ. धूलीलाल जाति बावरिया, निवासी ग्राम कुआगांव तहसील के.पाटन द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जा.दी.पेश किया जाकर पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया गया। दिनांक 10.06.24 को बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं आने से अप्रार्थी राजेन्द्र के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी राजेन्द्र का प्रार्थना पत्र औचित्यहीन होने से अस्वीकार किया जाता है। अप्रार्थियां कमला द्वारा दिनांक 07.10.24 को जवाब पेश कर आवंटन निरस्त नहीं किये जाने का निवेदन किया गया।

जिला कलेक्टर; बून्दी

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी एवं आईएलआर आवंटी तथा उसके वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटी के पक्ष में किया गया उक्त आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड किये जाने का अनुरोध किया गया।

अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये कि अप्रार्थी कमला पत्नी बद्रीलाल को भूमि खसरा संख्या 82 रकबा 0.58 हैक्टेयर आवंटन हुई थी, जब से उक्त जमीन का आवंटन हुआ तब से ही अप्रार्थियां का कब्जा काश्त है, अन्य किसी का कब्जा नहीं है। वर्तमान में भी उक्त आराजी पर कब्जा अप्रार्थियां का ही है। अप्रार्थियां द्वारा वाद बाबत गैर खातेदारी से खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 15(क) 88, 188, रा.टी.एक्ट सहायक कलक्टर बून्दी के यहां पेश किया हुआ है। आवंटी कमला द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना करते हुये भूमि पर काश्त की जा रही है किन्तु तहसीलदार महोदय के.पाटन द्वारा भू माफियों से मिलकर उक्त आराजी को अन्य व्यक्ति को आवंटन करने की गरज से झूठे व निराधार तथ्यों के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो खारिज किया जावे।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। जिससे प्रकट है कि श्रीमती कमला बाई पत्नी बद्रीलाल जाति राव निवासी कुआगांव को दिनांक 31.08.2006 को भूमि खसरा संख्या 82 रकबा 0.58 हैक्टेयर वाकेग्राम कुआगांव का आवंटन किया गया था। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार द्वारा प्रकरण अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम,1970 पेश किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम कुआगांव की नकल जमाबंदी संवत 2073–2076 के अनुसार भूमि ख.सं. 546/82 रकबा 0.58 हैक्टेयर पर अप्रार्थी कमला पत्नी बद्रीलाल कौम राव निवासी कुआगांव गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी एवं आईएलआर दिनांक 16.10.2020 के अनुसार उक्त आंवटित भूमि पर मौके पर अप्रार्थियां का कब्जा काश्त नहीं है। नकल खसरा गिरदावरी संवत 2076 के अनुसार भी उक्त भूमि ख.सं. 546/82 पड़त पड़ी हुई है। अन्य व्यक्ति राजेन्द्र द्वारा इस पत्रावली पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 05.07.2022 में भी उक्त भूमि पर उसका गत करीब 15–16 वर्षो से कब्जा चला आ रहा होना अंकित किया गया है।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर; बून्दी

यहां उल्लेखनीय है कि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) के अधीन यह शर्त है कि आवंटी को आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग पर तथा शेष भाग पर द्वितीय वर्ष काश्त करना आवश्यक है। अप्रार्थिया द्वारा पेश किये गये जवाब में उक्त आवंटित भूमि पर उनका कब्जा काश्त होना अंकित किया है किन्तु अपने कथन के समर्थन में अप्रार्थीगण द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये। जबकि प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों से अप्रार्थिया का कब्जा काश्त नहीं होना प्रकट होता है। प्रकरण में आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन की शर्तो का उल्लंधन होना प्रमाणित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से एवं आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थिया श्रीमती कमला बाई पत्नी बद्रीलाल जाति राव निवासी कुआगांव को किया गया भूमि आवंटन खसरा संख्या 82 (हाल खसरा संख्या 546/82) रकबा 0.58 हैक्टेयर वाके ग्राम कुआगांव दिनांक 31.08.2006 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार रायथल को आदेश दिये जाते है कि उक्त आवंटित भूमि को कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में **सिवायचक** दर्ज करे। यदि वादग्रस्त भूमि पर बिना विधिक अधिकार के किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा पाया जावे, तो उसके विरूद्ध अतिक्रमी की हैसियत से अविलम्ब बेदखली की कार्यवाही की जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 27.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर, बूंदी

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)
सत्यमेव जयते